न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 111/2014–15 अन्तर्गत धारा–219भू–राजस्व अधिनियम

श्री साब सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री दान सिंह नेगी, निवासी पण्डितवाडी, देहरादून

बनाम

श्री दीप सिंह नेगी पुत्र स्व0 दान सिंह नेगी, निवासी ग्राम बख्तावरपुर ग्रान्ट, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर, जनपद

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्ता	:	श्री अरूण सक्सेना।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी	:	श्री राजीव पंवार।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी कैम्प–देहरादून द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी संख्या–02/2014–15 दीप सिंह नेगी बनाम साब सिंह नेगी में पारित आदेश दिनांक 26–06–2015 जिसके द्वारा अपर कलेक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 14–03–2015 जो कि वाद संख्या–11/2012–13 साब सिंह नेगी बनाम दीप सिंह नेगी में पारित किया गया था को स्थगित किया गया है के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

निगरानी की संक्षिप्त पृष्ठ भूमि इस प्रकार है :–

भूमि खसरा संख्या–279 क्षेत्रफल 0.86 एकड़ एवं खसरा संख्या–280 क्षेत्रफल 0.89 एकड़ कुल भूमि क्षेत्रफल 1.84 एकड़ स्थित ग्राम बख्तावरपुर ग्रान्ट, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर दान सिंह नेगी पुत्र गणेश सिंह द्वारा विशम्बर दत्त पुत्र रतिराम से दिनांक 15–10–1969 को कय की गई जिसके आधार पर वर्ष 1970 में केता के पक्ष में नामान्तरण हो गया। दिनांक 18–02–1973 को दान सिंह नेगी की मृत्यु हो गई एवं उसकी मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि में उसके पांच पुत्रों जो कि मूल नामान्तरण कार्यवाही में पक्षकार हैं के नाम नामान्तरण कर दिया गया। वर्ष 1400 फसली में सर्वेक्षण हुआ जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि के नये खसरा नम्बर–488, 489 एवं 500 कुल क्षेत्रफल 0.7450 है0 में मूल केता के पांच पुत्रों के नाम अंकित रहे। दिनांक 04–02–2002 को तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष मूल केता के पुत्र दीप सिंह नेगी ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अन्ततः 25–10–2002 को वादग्रस्त भूमि में उसके पक्ष में नामान्तरण का आदेश पारित कर दिया। उक्त नामान्तरण आदेश को अपास्त करने के लिए निगरानीकर्ता द्वारा भारतीय मियाद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सहित एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 27–07–2010 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व कलेक्टर, देहरादून के समक्ष धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अपील योजित की गई जो कि कालान्तर में अपर कलेक्टर, देहरादून

को स्थानान्तरित की गई जहाँ अपील की कार्यवाही व्यवहृत होती रही एंव उत्तरदाता दीप सिंह नेगी द्वारा स्वंय की ओर से हस्तलेख विशेषज्ञ बुलाने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान अपर कलेक्टर ने इस आधार पर अस्वीकार किया कि हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है जिसपर उसके बयान व उससे जिरह भी हो चुकी है एवं उत्तरदाता/प्रतिवादी ने वाद में अनावश्यक विलम्ब करना चाह रहा है। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश दिनांक 04–06–2014 के विरूद्व अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष एक निगरानी 08–07–2014 को प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 27–10–2014 को अदम पैरवी में निरस्त होकर दिनांक 12–11–2014 को पुनर्स्थापित हो गई परन्तु अपर कलेक्टर, देहरादून के समक्ष लम्बित अपील अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम दिनांक 14–03–2015 को इस आशय से स्वीकार की गई कि तहसीलदार, विकासनगर द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–70/1547 वर्ष 2002 में पारित आदेश दिनांक 27–07–2010 व 25–10–2002 निरस्त किया जाता है। विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष विचाराधीन निगरानी में दिनांक 26–06–2015 को यह तथ्य निगरानीकर्ता(वर्तमान निगरानी में उत्तरदाता) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये जाने पर कि निगरानी पुनर्स्थापित होने के उपरान्त भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अन्तिम आदेश दिनांक 14–03–2015 पारित किया गया है विद्वान अपर आयुक्त ने विद्वान अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 14–03–2015 के कियान्वयन को स्थगित कर दिया जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी कथन हैं कि विद्वान अपर कलेक्टर, देहरादून के अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 के विरूद्व कोई निगरानी न किये जाने के बावजूद भी विद्वान अपर आयुक्त ने क्षेत्राधिकार से परे उसके कियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है जबकि अपीलीय आदेश में कथित वसीयत को फर्जी एवं अवास्तविक माना गया है, विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष लम्बित निगरानी पुनर्स्थापित होने के उपरान्त अपीलीय न्यायालय की पत्रावली वापस हुई तद्नुसार अपीलीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 14–03–2015 पारित कर कोई अनियमितता नहीं की, जिसके विरूद्व उत्तरदाता द्वारा न तो कोई निगरानी प्रस्तुत की है न ही उसे अपास्त करने हेतु कोई पग उठाये हैं, कि विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी निष्फल(infructuous) हो गई एवं उनके द्वारा पारित स्थगन आदेश क्षेत्राधिकार से परे एवं तात्विक अनियमितता से ग्रसित है, कि अपीलीय न्यायालय में उत्तरदाता जानबूझकर अनुपस्थित रहा है एवं उसके द्वारा प्रथम निगरानी के पुनर्स्थापन के तथ्य को प्रथम अपीलीय न्यायालय से छुपाया है, अतः उनका आचरण दोषपूर्ण रहा है।

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अन्तरिम स्थगन आदेश से किसी पक्ष की कोई हानि नहीं होती है, कि निगरानीकर्ता का कर्तव्य था कि वह अपीलीय न्यायालय

को अवगत कराता कि निगरानी विचाराधीन है, तद्नुसार उसके विरूद्व धारा–340 दण्ड प्रकिया संहिता का प्रकरण बनता है, कि वर्तमान निगरानी बलहीन एवं पोषणीय नहीं है, क्योंकि यह स्थगन आदेश के विरूद्व योजित है जिससे किसी पक्ष को कोई हानि नहीं होती। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार उत्तरदाता प्रथम निगरानी एवं सम्पूर्ण प्रकरण के शीघ्र यहाँ तक कि एक माह के भीतर निस्तारण हेतु तत्पर है।

प्रकरण में उपरि–लिखित संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि पहली निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष उत्तरदाता दीप सिंह नेगी के स्वंय की ओर से हस्तलेख विशेषज्ञ बुलाने सम्बन्धी प्रार्थना को विद्वान अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 04–06–2010 को निरस्त किये जाने से क्षुब्ध होकर योजित की गई। यह निगरानी अदम पैरवी में दिनांक 27–02–2014 को खारिज हुई एवं दिनांक 12–11–2014 को पुनर्स्थापित भी हो गई। विद्वान अपर आयुक्त के पुनर्स्थापन आदेश दिनांक 12–11–2014 को चुनौती नहीं दी गई है। तद्नुसार विद्वान अपर आयुक्त प्रथम निगरानी की सुनवाई कर रहे थे। प्रथम निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय की पत्रावली निगरानी के निस्तारण हेतु निगरानी न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत हुई थी। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तत्सम्बन्धी कथन कदाचित सत्य नहीं हैं। सम्भवतः प्रथम निगरानी के अदम पैरवी में निरस्त होने के उपरान्त अपीलीय कार्यवाही पुनः गतिमान हुई एवं प्रथम निगरानी के पुनर्स्थापन के तथ्य से अपीलीय न्यायालय को संसूचित नहीं किया गया अन्यथा प्रथम निगरानी में पारित अपील की कार्यवाही के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेश के दृष्टिगत अपील की कार्यवाही चल नहीं सकती थी। किसी भी पक्ष का यह कथन नहीं है कि अपीलीय कार्यवाही स्थगित किए जाने की सूचना होते हुए भी अपील की कार्यवाही चली। घटनाक्रम के उक्त स्थिति में विद्वान अपर कलेक्टर द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 पारित किया गया, उसके उपरान्त ही अपील की पत्रावली प्रथम निगरानी के निस्तारण हेतु प्रस्तुत हुई। प्रथम निगरानी में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 का संज्ञान कराये जाने पर विद्वान अपर आयुक्त ने अपीलीय आदेश का कियान्वयन स्थगित किया है जिसके विरूद्व वर्तमान निगरानी प्रस्तुत हुई है।

सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या विद्वान अपर आयुक्त को लम्बित निगरानी में अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 के कियान्वयन को स्थगित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। यह सही है कि अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 को चुनौती नहीं दी गई है, परन्तु यह भी सही है कि अपीलीय आदेश दिनांक 14–03–2015 प्रथम निगरानी के विचाराधीन रहते ही पारित हुआ है। यदि अपीलीय आदेश के प्रभाव/कियान्वयन को स्थगित न किया जाता है तो प्रथम निगरानी का औचित्य नहीं रह जाता है। तद्नुसार प्रथम निगरानी के निस्तारण तक विद्वान अपर आयुक्त को आक्षेपित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार था एवं ऐसे अन्तर्वर्तीय एवं वादकालीन(interlocutory) आदेश से किसी भी पक्ष के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना परिलक्षित होता है। तद्नुसार आक्षेपित आदेश किसी अवैधानिकता

व तात्विक अनियमितता से ग्रसित नही है मात्र इसी आधार पर वर्तमान निगरानी पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्तर्वर्तीय/वादकालीन(interlocutory) आदेश के संशोधन एवं परिवर्तन हेतु ऐसे आदेश पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिये जा सकते हैं जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है, इस आधार पर भी वर्तमान निगरानी पोषणीय नहीं है।

अपीलीय न्यायालय को प्रथम निगरानी के पुनर्स्थापन का संज्ञान न कराये जाने में त्रुटि हुई है, भले ही यह त्रुटि किसी एक पक्ष विशेष या दोनों पक्षों अथवा किसी अन्य कारण से हुई है। परन्तु जो भी हो अपीलीय न्यायालय आक्षेपित आदेश पारित कर चुका है परन्तु प्रथम निगरानी न्यायालय को यह विचार करने का अधिकार प्राप्त है कि प्रथम निगरानी के लम्बित रहते क्या अपीलीय आदेश पारित किया जा सकता था। यद्यपि प्रथम निगरानी की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानी के ग्रहण करने सम्बन्धी आदेश के साथ पारित आदेश दिनांक 04–06–2014 के कियान्वयन स्थगन करने सम्बन्धी आदेश पुनर्स्थापित नहीं हुआ है, परन्तु प्रथम निगरानी न्यायालय को इन सभी तथ्यों एवं स्थितियों पर विचार करना है।

जहाँ तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रथम निगरानी उस निगरानी के उत्तरदाता को सूचित किये बिना पुनर्स्थापित कर दी गई। वर्तमान निगरानी पुनर्स्थापन आदेश के विरूद्व नहीं है, अतः उनका यह तर्क इस स्तर पर ग्राह्य नहीं है। इसी प्रकार उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा श्रीमती उमा देवी बनाम मुन्नी देवी आर0डी0 1995 पृष्ठ 215 एवं श्रीमती आशा बनाम श्रीमती राजरानी आर0डी0 1994 पृष्ठ–328 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश में दी गई न्यायिक व्यवस्था का विश्लेषण यहां पर आवश्यक नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण पुनर्स्थापन से सम्बन्धित नहीं है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **16–03–2016** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)